न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :– 41/2020

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. धाईदेवी पत्नि जीयाराम निवासी बिलासर कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. केहराराम पुत्र दुर्गाराम 2. लालाराम पुत्र दुर्गाराम 3. कल्पना पुत्री दुर्गाराम 4. राणाराम पुत्र दुर्गाराम 5. गेरोंदेवी पत्नि दुर्गाराम 6. धन्नाराम पुत्र चुतराराम 7. चुन्नीदेवी पत्नि तगाराम जाति जाट निवासी बिलासर, कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 8. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई, शाखा सिणधरी 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री केसाराम सहारण अधिवक्ता वादीनी की ओर से उपस्थित।

2.श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रति सं. 1 से 5 शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

3. प्रतिवादी सं. 9 के पैरोकार सरकार उप.।

निर्णय

दिनांक– 29.05.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 109/79 रकबा 12.9440 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 13.07.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया। जिसे वादीनी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– बिलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के खसरा संख्या 109/79 रकबा 12.9440 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	धनाराम पुत्र चुतराराम 3/4 चुनीदेवी पत्नि तगाराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन–धनाराम का हिस्सा एसबीबीजे शाखा सिणधरी के पक्ष में रहन।	109/79	8.6294	बा.सो.	0.42	लाल
2	धाई देवी पत्नि जीयाराम जाति जाट सा. देह खातेदार।	109/79	2.1573	बा.सो.	0.11	हरा
3.	केहराराम 1/5 लालाराम 1/5 कल्पना 1/5 राणाराम 1/5 पि. दुर्गाराम गेरोंदेवी पत्नि दुर्गाराम 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	109/79	2.1573	बा.सो.	0.11	आसमानी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner